

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
—0—

क्रमांक ११३५/७५१/२०२१/स्था./चार

नवा रायपुर, दिनांक ०१/१२/२०२१

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

विषय :- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने की सहमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का पत्र क्रमांक १६६००/प्रशा./स्था./२०२०, दिनांक ०६.११.२०२०
—0—

वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के (वित्त निर्देश ५६/२०१२) परिपत्र क्रमांक १२३०/एफ १-४१/२००९/वित्त/स्था./चार/२०१२, दिनांक ०१ अगस्त, २०१२ द्वारा राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में दिनांक ०१.०४.२०१२ अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था।

२. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना दिनांक ०१.०४.२०१२ के स्थान पर दिनांक ०१.११.२००४ से लागू माना जावे। इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए. सिस्टम में "एरियर" के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्टि आवश्यक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


२९/११/२०२१
(प्रेमा गुलाब एक्का)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ० क्रमांक ११३५/७५१/२०२१/स्था./चार

नवा रायपुर, दिनांक ०१/१२/२०२१

प्रतिलिपि :-

१. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
२. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
३. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
४. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
५. कलेक्टर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
६. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/लोक शिक्षण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
७. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, रायपुर छत्तीसगढ़
८. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर
९. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, अटल नगर नवा रायपुर की ओर वेबसाईट में दर्ज करने हेतु


०१/१२/२०२१
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग